आवश्यक

संख्या: 05/2021/222/12-2-2021-1/2019 टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, समन्वय विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विदेश एवं व्यापार विभाग, पंचायती राज विभाग, नमामि गंगे विभाग, सहकारिता विभाग, आद्योगिक विकास विभाग, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 05/2021/222(1)/12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव (डी०ए०सी०डब्लू), भारत सरकार।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समन्वय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. राज्य समन्वयक, यू०पी०डास्प द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, एस०एफ०ए०सी० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, एन०सी०डी०एम० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. प्रबंध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्रो इण्ड्स्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
15. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
17. मुख्य कार्यवपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. समस्त प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. प्रबंध निदेशक, इफ्को द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. प्रबंध निदेशक, कृभको द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) नीति, 2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश के कृषक उत्पादन संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु शासनादेश संख्या: 35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति 2020 निर्गत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की दो तिहाई आबादी की आजीविका पूरी तरह से कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि जोतों के आधार पर प्रदेश में 2.38 करोड़ कृषक परिवार हैं। इनमें से लगभग 79 प्रतिशत सीमान्त किसान परिवार तथा 13 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषक परिवार सम्मिलित हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 एक सशक्त साधन के रूप में स्थापित की गयी है। इस नीति की मूल अवधारणा प्रदेश के किसान को कृषक उद्यमी के रूप में संगठित कर "खेती-बाड़ी" की सनातन भारतीय परम्पराओं को पुनः स्थापित करते हुये प्रदेश के प्रत्येक कृषक परिवार को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना है।

1.1 परिभाषायें/संक्षेपाक्षरों का विवरण:

एफ0पी0ओ0	:	फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन
एफ0पी0सी0	:	फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी
पैन कार्ड	:	परमानेन्ट एकाउण्ट नम्बर
आर0ओ0सी0	:	रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
टी0ए0एन0	:	टैक्स डिडक्शन एण्ड कलेक्शन एकाउण्ट नम्बर
ई0पी0एफ0	:	इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड
ई0एस0आइ0सी0	:	इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेट एसोशियेसन
ए0टी0एम0	:	सहायक तकनीकी प्रबन्धक
बी0टी0एम0	:	ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक

2.0 कृषक उत्पादक संगठन पंजीयन अधिनियम पंजीयन की प्रक्रिया:

कृषक उत्पादक संगठन, कम्पनी अधिनियम 1956(यथा संशोधित 2013) की धारा 465(1) के भाग 581 अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) के अधीन पंजीकृत व्यवसायिक निकाय है। इसमें कृषक/प्राथमिक उत्पादक अथवा उनके समूह संगठित होकर कृषि एवं कृषि सहाय्यित (Agriculture & Agriculture Allied) क्षेत्रों में वित्तीय निवेश तथा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग कर सम्पूर्ण मूल्य श्रंखला (Value Chain) की स्थापना का मार्ग सुगम तरीके से स्थापित कर स्थायी आर्थिक समृद्धि तथा सतत् विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रयास करते हैं।

2.1 एफ0पी0ओ0 के पंजीयन की प्रक्रिया:

जैसा कि ऊपर वर्णित है, एफ0पी0ओ0 का पंजीयन कम्पनी अधिनियम 1965 (यथा संशोधित 2001) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1956 (यथा संशोधित) में किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है। "VOCAL FOR LOCAL" एवं "LOCAL TO GLOBAL" परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) को प्राथमिकता के साथ लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायिक मान्यता है। साथ ही कृषि तथा कृषि सहाय्यित क्षेत्र के समस्त उत्पादों की सकल मूल्य श्रंखला स्थापना करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की पूरी स्वतंत्रता है। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारिता पंजीयन अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) में एफ0पी0ओ0 के पंजीयन का प्रश्न है इसमें कार्य विशेष के लिये ही पंजीयन की व्यवस्था है जैसे- मत्स्य पालन सहकारी समिति, कुक्कुट पालन सहकारी समिति, औद्योगिक सहकारी समिति इत्यादि। साथ ही इस प्रकार की समितियों के पंजीयन का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का अधिकार सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रदत्त है।

उक्त के आलोक में कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) के अन्तर्गत ही पंजीयन की प्रक्रिया तथा उसमें होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत है।

2.2 पंजीयन की प्रक्रियाः

कृषक उत्पादक संगठन का पंजीयन, कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में करने हेतु न्यूनतम 10 किसानों द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रपत्र आवश्यक होते हैं:-

(i) समस्त 10 किसानों के पैन कार्ड।

(ii) समस्त 10 किसानों के आधार कार्ड।

(iii) समस्त 10 किसानों के बैंक पासबुक की अद्यतन इन्ट्री सहित पासबुक।

(iv) समस्त 10 किसानों की दो-दो फोटो।

(v) समस्त 10 किसानों के खेत की खतौनी तथा कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त कृषक प्रमाण-पत्र (उचित प्रारूप में कृषि विभाग से)

(vi) समस्त 10 किसानों का मोबाइल फोन नम्बर तथा ई-मेल।

उक्त समस्त विवरण के अलावा निम्नलिखित अन्य सूचनायें भी अति आवश्यक हैः-

(i) फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के दो प्रस्तावित नाम।

(ii) कुछ अतिरिक्त उद्देश्य (यदि आवश्यक हो)।

(iii) प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय का अद्यतन जमा विद्युत बिल की प्रति।

(iv) निदेशक तथा अंश धारकों की संख्या

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी (FPC) के पंजीयन के समय न्यूनतम 05 निदेशक तथा 05 शेयर होल्डर सदस्य होते हैं। भविष्य में यथा आवश्यकता अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं किन्तु शेयर होल्डर की संख्या की अधिकतम सीमा के बारे में अधिनियम में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। फिर भी कृषक उत्पादक संगठन में सुचारू व्यवसायिक प्रबन्धन हेतु अधिकतम 1000 शेयर होल्डर की सीमा निर्धारित किया जाना उचित होगा।

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में पंजीयन की समस्त कार्यवाही प्रशिक्षित चार्टड एकाउण्टेंट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा पूर्ण की जाती है। इस हेतु समस्त 05 निदेशकों तथा 05 शेयर होल्डर सदस्यों के डिजीटल हस्ताक्षर भी बनवाना पड़ता है। पंजीयन की समस्त कार्यवाही ऑन-लाइन पूर्ण की जाती है।

2.2.1 कृषक उत्पादक कम्पनी के लक्ष्य/उद्देश्य का निर्धारण:

किसी भी कृषक उत्पादक कम्पनी के उद्देश्यों का निर्धारण कृषि एवं कृषि सहाय्यित क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों को लक्ष्य करते हुये निर्धारित किया जायेगा तथा इसका एक मॉडल स्मृति पत्र (Memorandum Of Association) तथा नियमावली (Article Of Association) संलग्नक-01 पर प्रस्तुत है।

2.3 पंजीयन शुल्क तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित 2013) में एफ0पी0ओ0 के पंजीयन तथा उसे पूर्ण क्रियाशील बनाये रखने हेतु कुल न्यूनतम व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

2.3.1 एफ0पी0ओ0 को कम्पनी के रूप में पंजीयन तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रथम वर्ष में जमा किये जाने वाले फार्म:

एफ0पी0ओ0 के पंजीयन हेतु कम्पनी की अधिकृत पूंजी की घोषणा के पंजीयन के समय निदेशक को करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज भारत सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक अधिकतम अधिकृत पूंजी के सापेक्ष एक समान पंजीयन शुल्क आन लाइन जमा किया जाता है। पंजीयन हेतु निम्नलिखित मदों में व्यय प्रस्तावित हैः-

2.3.1.1 समस्त 05 निदेशकों तथा 05 शेयर होल्डर के डिजीटल हस्ताक्षर पर व्यय।

2.3.1.2 कम्पनी के नाम की स्वीकृति हेतु व्यय।

2.3.1.3 कम्पनी का पंजीयन शुल्क के सापेक्ष व्यय तथा चार्टड एकाउण्टेंट/कम्पनी सेक्रटरी की प्रोफेशनल फीस जिसमें (कम्पनी का संविधान तैयार करना, पंजीयन के उपरांत उसकी 10 प्रतियां छपवाकर कम्पनी के निदेशक को उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

2.3.2. फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन के उपरांत उसकी विधिक निरन्तरता बनाये रखने हेतु अलग-अलग फार्म जमा करने होते हैं जिसके साथ आवश्यक शुल्क भी जमा करना होता है। इसमें निम्नलिखित फार्म सम्मिलित हैं:-

2.3.2.1 प्रथम 30 दिन के अन्दर आडिटर नियुक्ति हेतु फार्म ADT-01 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज भारत सरकार को ऑन-लाइन जमा करने पर व्यय।

2.3.2.2 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन के 180 दिन के अन्दर व्यवसाय प्रारम्भ करने की सूचना रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के कार्यालय में फार्म नं0 INC-20A जमा करने पर व्यय।

2.3.2.3 फार्मर प्रोडयूसर कम्पनी के पंजीयन के 180 दिन के अन्दर सी0ई0ओ0 की तैनाती की सूचना रजिस्ट्रार आफ कम्पनी के कार्यालय में फार्म नं0 QIR-12 जमा करने पर व्यय।

2.3.2.4 प्रथम वर्ष की वार्षिक Compliance तथा आयकर विवरणिका क्रमशः फार्म AOC-4 फार्म MGT-7 फार्म PAS-3, फार्म निदेशकों की KYC जमा करने पर सम्मिलित है।

2.3.3 एफ0पी0ओ0 के पंजीयन तथा उससे सम्बन्धित प्रथम वर्ष की विधिक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु लगभग रू0 36,500/- का न्यूनतम व्यय निहित है।

2.4 द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षो में रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के नियमों का अनुपालन (कम्प्लायेन्सेज), आयकर विवरणिका जमा तथा वार्षिक बैलेन्स शीट आडिट की व्यवस्था करना:-

फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के पश्चात द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षों में क्रमशः फार्म AOC-4 फार्म, MGT-7 फार्म, PAS-3 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज की वेबसाइट पर ऑन-लाइन जमा करने के साथ-साथ समस्त निदेशकों की KYC तथा बैलेन्स शीट आडिट कराना अति आवश्यक होगा। यह कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सेकरेटरी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। द्वितीय वर्ष तथा आगे के वर्षो में अनुमानतः लगभग रू0 11,500/- का न्यूनतम व्यय निहित है।

नोटः

1. डिजिटल सिग्नेचर की वैधता दो वर्ष की है। भविष्य में सिर्फ एक निदेशक के डिजिटल सिग्नेचर का नवीनीकरण कराना होगा। एक डिजिटल सिग्नेचर पर कुल रू0 1000/- का व्यय आता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के निदेशकों को यह परामर्श दिया जाना चाहिये कि वे अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल न बदलें। अन्यथा के0वाई0सी0 कराने पर व्यय अतिरिक्त अधिभार होगा।

3.0 कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना एवं उन्हें सतत रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु शासकीय व्यवस्था का स्वरूप एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की भूमिका:

प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना तथा उन्हें सतत रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या:35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0 दिनांक 29 सितम्बर 2020 उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरीय समितियों का गठन शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या:2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा किया जा चुका है। विभिन्न स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है:-

3.1 राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई:

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई का निम्नानुसार गठन किया जा चुका है:-

क्रम सं0	नाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग/ उद्यान/पशुपालन/मत्स्य/सहकारिता/कृषि विपणन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
5	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
6	दो विशेषज्ञ, कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान	सदस्य
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव
8	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
9	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट, उत्तर प्रदेश	सदस्य

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धक इकाई द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन तथा उसे सत्त रूप से क्रियाशील बनाये जाने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा, उनके समक्ष आने वाले कठिनाइयों के निस्तारण तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं/परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के प्रत्यक्ष संरक्षण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में एक क्रियान्वयन सेल कृषि विभाग मुख्यालय पर गठित किया जायेगा। इसका संगनात्मक ढांचा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर 2020 के अनुसार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई कम्पनी सेक्रेटरी की सेवाओं हेतु कम्पनी सेक्रेटरी का पैनल गठित करके उपलब्ध करायेगी और दरें भी औचित्यपूर्ण तरीके से निर्धारित करेगी जिनकी सेवायें कृषि उत्पादन संगठनों द्वारा लिया जा सकेगा। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई कृषि उत्पादन संगठनों को पंजीकरण करने में हैण्ड-होल्डिंग/यथोचित सहायता उपलब्ध करायेगी।

3.2 राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलाप:-

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्यालय स्तर पर नीतिगत समन्वय हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना कार्यालय ज्ञाप संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 04 नवम्बर 2020 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा की गयी है। एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम के सफल, समयबद्ध तथा निरन्तर संचालन में इस इकाई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नवत् हैं:-

3.2.1 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन हेतु कार्यवाही करना:

जनपद स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेट यूनिट से प्राप्त ऑन-लाइन सूचना के आधार पर प्राथमिक प्रोसेसिंग कर रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के वेबसाइट पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन हेतु आन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करना, पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर उसकी सूचना सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रथम निदेशक को ई-मेल तथा मोबाइल संचार के माध्यम से प्रेषित करने का दायित्व राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा वहन किया जायेगा।

3.2.2 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से जुड़ी प्रथम वर्ष की समस्त विधिक कार्यवाही को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करना:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यरत/सम्बद्ध चाटर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के पंजीयन के पश्चात उसमें आडिटर नियुक्ति हेतु फार्म ADT-01 व्यवसाय प्रारम्भ करने की सूचना हेतु फार्म नं0 INC-20 A सी0इ0ओ0 की तैनाती हेतु फार्म नं0 QIR-12, प्रथम वर्ष की वार्षिक Compliance तथा आयकर विवरणिका क्रमशः फार्म AOC-4 फार्म MGT-7, फार्म PAS-3 तथा निदेशकों की KYC प्रपत्र तैयार कर आन-लाइन रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज की वेबसाइट पर जमा कर उसकी पावती सुनिश्चित करते हुये उसकी प्रति सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को भी उपलब्ध करायेंगे। प्रथम वर्ष की विधिक कार्यवाही पूर्ण करने में रू0 11,500/- का व्यय निहित है।

3.2.3 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को क्रियाशील बनाने (Hand Holding) तथा शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना:-

वर्तमान परिवेश में किसान विभिन्न सामाजिक पर्यावरणीय एवं तकनीकी कारणों से आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के तत्काल पश्चात प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं औद्यानिकी क्रियाकलापों से उसे जोड़ दिया जायेगा।

उदाहरणार्थ- सगंध कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के संस्थापक 10 किसानों को उनके 10 एकड़ रकबे पर लेमनग्रास की कृषि हेतु आवश्यक इनपुट एवं एक आसवन संयंत्र (01 टन क्षमता) की स्थापना से फसल लगाने के प्रथम 120 दिन पश्चात वर्तमान दर पर सम्बन्धित किसान को प्रथम तिमाही में औसतन लगभग रू0 30,000/- की प्राप्तियां होगीं। साथ ही यह फसल प्रत्येक तिमाही अन्तराल पर आगामी पॉच वर्षो तक सम्बन्धित किसान को लाभ पहुंचाती रहेंगी। इसी प्रकार की अन्य संगध एवं औषधीय फसलें भी हैं जिन्हें मार्जिनल भूमि पर भी पर्यावरण की विषम परिस्थितियों में आसानी से पैदा किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 के समन्वय/सहयोग से उक्त उपलब्धि को क्षेत्रीय किसानों में व्यापक रूप से प्रचारित/प्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत प्रथम छमाही के अन्त तक प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी में कम से कम 500 शेयर होल्डर किसान सम्मिलित किये जायेंगे। एक प्राथमिक शेयर होल्डर को न्यूनतम 10 शेयर तथा अधिकतम 20 शेयर प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को पूर्ण क्रियाशील बनाये जाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में सम्बद्ध विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों से समन्वय कर उनके द्वारा संचालित विकास योजनाओं/परियोजनाओं से कन्वर्जेन्स सपोर्ट प्राप्त किया जायेगा। इस प्रयास से गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के व्यवसायिक क्रियाकलाप तत्काल प्रारम्भ हो जायेंगे। इससे फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन संबंधी भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड-लाइन्स में वर्णित वित्तीय व्यय की तुलना में अल्प व्यय में ही फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन से लेकर उसे क्रियाशील बनाये जाने का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

3.2.4 विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स सहायता तथा सम्बन्धित विभागों का दायित्व:-

प्रदेश में एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभाग अपनी विभागीय योजनाओं /परियोजनाओं में यथा आवश्यकता कन्वर्जेन्स सहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश/क्रियान्वयन दिशा निर्देश निर्गत करेंगे।

वर्तमान में कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि से जुड़ी परियोजनाओं का कन्वर्जेन्स/लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत लाभार्थीपरक, किसान परक प्रस्ताव आन-लाइन जमा करना पड़ता है। इस कारण से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के निदेशकों को अनेक प्रशासनिक एवं वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित डी0बी0टी0 योजना के पोर्टल पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, को भी लाभार्थी के रूप में दर्ज करते हुये उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विभागों के क्रमशः ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, राज्य औषधि पादप बोर्ड, उ0प्र0, मत्स्य पालन विभाग, उ0प्र0 शासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध, उ0प्र0 शासन, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन, दुग्ध विकास विभागए उ0प्र0 शासन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन, लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, उ0प्र0 शासन, परती भूमि विकास, उ0प्र0 शासन के अतिरिक्त शासन के साथ-साथ अन्य विभागों द्वारा भी अपनी विकास योजनाओं/परियोजनाओं में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के सतत विकास के लिए कन्वर्जेन्स सुविधा प्रदान करने हेतु आदेश/शासनादेश निर्गत करेंगे। सम्बन्धित विभागों एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को कन्वर्जेन्स सहायता प्रदान करने वाले विभाग	वर्तमान में संचालित/परियोजना का नाम
1	ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0	• कृषक सशक्तिकरण परियोजना • आजीविका मिशन • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
2	राज्य औषधि पादप बोर्ड, उ0प्र0	• औषधीय कृषि योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		• औषधीय नर्सरी योजना • औषधीय बाजार की स्थापना • औषधीय कृषि प्रशिक्षण योजना • औषधीय उत्पाद क्रेता/विक्रेता सम्मेलन • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
3	मत्स्य पालन विभाग, उ0प्र0	• प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0	• औद्यानिक मिशन कार्यक्रम • खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम • फूड पार्क योजना • मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेण्ड फॉर हॉर्टिकल्चर • पान विकास कार्यक्रम • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
5	कृषि विभाग, उ0प्र0	• एन0एफ0एस0एम0 • मिनी मिशन ऑन ऑयल सीड्स • दृष्टि योजना • आर0के0वी0वाई0 • पी0के0वी0आई0 • पी0एम0कुसुम योजना • नमामि गंगे योजना • प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फार इन-सीटू मेनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू • एस0एम0ए0एम0 • बी0जी0आर0ई0आई0 • प्रमाणित बीज तथा खाद्य एवं कीटनाशक फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु लाइसेन्स निर्गत करना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
6	पशुधन विभाग, उ0प्र0	• पशुधन विकास कार्यक्रम • कुक्कुट पालन योजना • दुग्ध विकास योजना • बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना • जेनेटिक इम्प्रूवमेण्ट ऑफ शीप एण्ड गोट • नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अन्तर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी लो इनपुट टैक्नालॉजी बर्ड योजना • नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अन्तर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी ब्रायलर बर्ड योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजना

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0	• दुग्ध विकास योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
8	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0	• माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस संग्रहण एवं बिक्री योजना • नर्सरी स्थापना कार्यक्रम • नेशनल एडाप्टेशन फण्ड ऑन क्लामेट चेन्च • नेशनल बम्बू मिशन कार्यक्रम • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
9	जल संसाधान विभाग, उ0प्र0	• वर्षा जल संचयन योजना • नदी/वाटरबॉडी पुनर्रोधार योजना • नमामि गंगे योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
10	समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0	• जनजातीय विकास कार्यक्रम • वन धन योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजना
11	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0	• गोवर्धन योजना • किसानोपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
12	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0	• स्फ'र्ति योजना • क्लस्टर विकास योजना • प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना • मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
13	रेशम विभाग, उ0प्र0	• शिल्क उत्पादन कार्यक्रम • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं
14	लघु सिंचाई एवं भूजल विभाग, उ0प्र0	• मध्यम गहरे नलकूप योजना • गहरे नलकूप योजना • इन-वेल-रिंग बोरिंग योजना • सरफेस पम्पसेट योजना • चेक डैम एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग योजना • ब्लास्ट वेल योजना • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
15	परती भूमि विकास, उ0प्र0	• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरसेड डेवपलमेंट कम्पोनेन्ट) • किसानोंपयोगी अन्य योजनाएं
16	कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध, उ0प्र0	• कृषि विश्वविद्यालयों के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट द्वारा संचालित योजना • कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संचालित योजनाएं • यू0पी0सी0ए0आर0 (यू0पी0 काऊंसिल फार एग्रीकल्चर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		रिसर्च)द्वारा संचालित विभिन्न कृषि शोध एवं विकास योजनाएं
17	उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना	• पी0के0वी0वाई के अन्तर्गत गठित कृषक समूहों को एफ0पी0ओ0 के रूप में पंजीकृत कराना • नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत गठित कृषक समूहों को एफ0पी0ओ0 के रूप में पंजीकृत कराना • किसानोंपयोगी अन्य विभागीय योजनाएं

उपरोक्त के अलावा अन्य विकास विभागों द्वारा समय-समय पर ग्रामीणों एवं किसानों के सत्त विकास हेतु जारी होने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लाभार्थी समूह में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

3.2.5 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को संचालन हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना:

उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के क्रम में पूर्व से कार्यरत कृषि उत्पादक संगठनों को नीति के लागू होने की तिथि से तथा नये कृषि उत्पादक संगठनों के कम्पनी एक्ट अथवा सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने के पश्चात आगामी 03 वर्षो में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अधिकतम रूपये 5.00 लाख तक के बैंक ऋण पर प्रभावी ब्याज दर पर 04 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन में न्यूनतम 150 अंशधारक कृषक होना आवश्यक होगा।

3.2.6 रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज तथा आयकर विभाग एवं अन्य विभागों की विधिक विवरणी ससमय तैयार कर आन लाइन जमा करनाः

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई से सम्बद्ध चार्टड एकाउण्टेंट सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के बैंक खाते तथा अन्य प्राप्तियों/खर्चो के विवरण की साफ्ट कापी सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से आन लाइन प्राप्त करेंगे, यथा आवश्यकता जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्ध इकाई की भी सहायता प्राप्त करेंगेए जिससे निर्धारित समय सीमा में समस्त आवश्यक विधिक/वित्तीय प्रपत्र/फार्म तैयार कर सम्बन्धित विभागों को आन-लाइन जमा कर दिया जाये। पावती रसीद का रिकार्ड सम्बन्धित एफ0पी0ओ0 के साथ-साथ राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई में भी सुरक्षित रखा जायेगा।

कम्पनी के गठन के पश्चात प्रारम्भ के तीन वर्षो में यह कार्य राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धक इकाई स्तर से ही पूर्ण किया जायेगा। कालान्तर में इस कार्य हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर विकेन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर को ही अपने स्तर पर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज एवं आयकर विभाग की समस्त विधिक/वित्तीय प्रपत्र/फार्म विवरण इत्यादि ससमय तैयार कर ऑन लाइन जमा करने हेतु प्रेरित होंगे/किया जायेगा।

3.2.7 पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का भ्रमण:

राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय भी राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर किया जायेगा। इस प्रयास से कम्पनी के निदेशक किसानों एवं कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का उत्साहवर्धन होगा। उन्हें अपने परम्परागत कृषि एवं औद्यानिकी क्रियाकलापों से हटकर कुछ अतिरिक्त करने तथा सम्पूर्ण मूल्य श्रंखला की स्थापना करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अन्तर्जनपदीय भ्रमण कार्यक्रम वर्ष में दो बार अन्तर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सहभागिता आधार पर भ्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यक्रमों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। भ्रमण कार्यक्रमों का कैलेंण्डर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक जनपद से पूर्ण क्रियाशील फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की सूची राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा मंगा ली जायेगी। पूर्ण क्रियाशील का तात्पर्य है कि सम्बन्धित एफ0पी0ओ0 की आर0ओ0सी0 के साथ-साथ आयकर एवं अन्य विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण हों तथा उनके व्यवसायिक कार्यक्रम एफ0पी0ओ0 की मूल अवधारणा के अनुसार संचालित हों।

3.2.8 अनुश्रवण एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर कार्यक्रम की सीमावर्ती अनुश्रवण के साथ-साथ यथा आवश्यकता 'तीसरे पक्ष की निगरानी में अनुश्रवण'' की व्यवस्था के संचालन का समन्वय किया जायेगा। मानिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार की घोषणा की जायेगी। यह पुरस्कार स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती पर ससमारोह मा0 मुख्यमंत्री/मा0 कृषि मंत्री द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसमें स्मृति चिन्ह, प्रमाण-पत्र तथा शाल भेंट कर सम्बन्धित निदेशक कृषक को सम्मानित किया जायेगा। इस प्रयास से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के मध्य उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सृजन होगा।

3.2.9 डैश बोर्ड की स्थापना:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के स्तर पर प्रदेश में गठित तथा पूर्ण क्रियाशील फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का एक डैश बोर्ड स्थापित किया जायेगा। इसमें फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से जुड़ी समस्त जानकारियों जैसे- निदेशकों एवं शेयर होल्डर्स का विवरण, आर0ओ0सी0 से जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट, बैलेन्स शीट, बैंक खाते का विवरण तथा कम्पनी के व्यावसायिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट दर्ज होगी। साथ ही इस पर एक लिंक भी उपलब्ध होगा जिस पर डैश बोर्ड में शामिल कोई भी एफ0पी0ओ0 अपने व्यवसाय से जुड़ी अद्यतन जानकारी आन-लाइन भेज सकेगा। एफ0पी0ओ0 द्वारा भेजी गयी जानकारी को राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा इसे डैश बोर्ड में सम्बन्धित एफ0पी0ओ0 की विवरणिका में दर्ज कर देगा। इस जानकारी के आधार पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के व्यावसायिक क्रियाकलापों को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई को आसानी होगी।

4.0 जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई:

एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कृषि विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनांक 4 नवम्बर 2020(सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2020/2133/12-2-2020-1/2019 दिनांक 27 नवम्बर 2020) द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जा चुका हैः-

क्र0सं0	नाम	पद
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक	संयोजक/सदस्य सचिव
3	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	सहायक निदेशक, मत्स्य/रेशम अधिकारी	सदस्य
6	मण्डी सचिव	सदस्य
7	जिला प्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	तीन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, आत्मा स्थानीय उत्पादक संगठन	सदस्य
9	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य

इस समिति द्वारा जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय लिए जायेंगे। कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक कृषि के प्रत्यक्ष संरक्षण/नियंत्रण में एक जनपद स्तरीय एफ0पी0ओ0 क्रियान्वयन सेल का औपचारिक गठन किया जायेगा। इस सेल द्वारा विकास खण्ड स्तर पर एफ0पी0ओ0 के गठन हेतु किये जा रहे प्रयासों की संकलित जानकारी रखी जायेगी। इस सेल के प्रभारी द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित विवरण जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ-साथ जनपद के क्रेडिट-लिन्कड-पोटेन्शियल एग्रीक्लचर डवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु उपयोग में लाया जायेगा। इस प्रयास से जनपद में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियों में प्रदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अनुशासित उपयोग करते हुये सत्त विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना आसान हो जायेगा। जनपद स्तर पर एफ0पी0ओ0 क्रियान्वयन सेल का मुख्यालय कृषि प्रौद्योगकीय प्रबन्धन एजेंसी (आत्मा) के जनपद स्तरीय कार्यालय में ही होगा। किस ब्लाक में किस प्रकार का एफ0पी0ओ0 यथा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम इत्यादि से संबंधित एफ0पी0ओ0 का गठन किया जायेगा। इस संबंध में भी संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जायेंगें। जनपद स्तरीय एफ0पी0ओ0 क्रियान्वयन सेल का संगठनात्मक ढांचा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक सितम्बर 2020 के अनुसार होगा।

4.1 जनपद एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों की कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना में भूमिका:

प्रदेश में कृषि विकास में एफ0पी0ओ0 की अहम भूमिका के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि विभागीय कार्यकलापों में भी एफ0पी0ओ0 सम्बन्धी कार्यो को उच्च प्राथामिकता दी जायेगी। इन कार्यो को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के दायित्व निम्नानुसार होंगे-

4.1.1 **मुख्य विकास अधिकारी-** विभिन्न विभागीय योजनाओं से आवश्यक कन्वर्जेन्स प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य विभागों की किसानोपयोगी परियोजनाओं में एफ0पी0ओ0 को समाहित करने हेतु आवश्यक समन्वय प्रदान किया जायेगा।

4.1.2 **कृषि विभाग-** कृषि विभाग एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम का नोडल विभाग है। अतः इसके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विभाग के जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तत्क्रम में बिन्दुवार प्रकार से अधिकारियों की भूमिका एवं उनका दायित्व निम्नवत् हैः-

उप निदेशक कृषि - उप निदेशक कृषि द्वारा जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई की प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से बैठक का आयोजन किया जायेगा। उनके द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं में एफ0पी0ओ0 की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि विभाग के विकास खण्ड में तैनात कार्मिकों को क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विभागीय योजनाओं से आवश्यक कन्वर्जेन्स प्राप्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को यथा आवश्यकता सुझाव प्रदान करेंगे तथा क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

जिला कृषि अधिकारी - जिला कृषि अधिकारी द्वारा एफ0पी0ओ0 को उनकी मांग के अनुसार खाद, बीज एवं कीटनाशकों के भण्डारण एवं बिक्री हेतु आवश्यक लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

खाद, बीज तथा कीटनाशक रसायनों की जनपद में कमी होने की स्थिति में यथा आवश्यकता उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा, जिससे एफ0पी0ओ0 से जुड़े किसानों को कोई असुविधा न हो। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

सहायक विकास अधिकारी, कृषि - विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से एफ0पी0ओ0 को कन्वर्जेन्स प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एव सहयोग प्रदान करना।

ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक (बी0टी0एम0) .ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक विकास खण्ड स्तर पर कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी के उत्पादक समावेश हेतु जनपद स्तरीय आत्मा सेल के निर्देश पर कार्य करता है। इन्हें एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम के बारे में अपने विकास खण्ड क्षेत्र के किसानों को जागरूक कर उन्हें संगठित करते हुये एफ0पी0ओ0 से होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावित उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया जायेगा। एफ0पी0ओ0 के पंजीयन के उपरांत कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी के समावेश हेतु प्रेरित कर गुणवत्तायुक्त उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सहायक तकनीकी प्रबन्धक (ए0टी0एम0) . ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक (बी0टी0एम0) की देखरेख में सम्बन्धित विकास खण्ड में एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम में अद्यतन तकनीकी के समावेश के लिए निरन्तर सहयोग प्रदान करना।

4.1.3 **जिला उद्यान अधिकारी-** जिला उद्यान अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.1.4 **मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी** - जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को पशुधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.1.5 **सहायक निदेशक मत्स्य-** जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.1.6 **रेशम अधिकारी** - प्रदेश के कुछ जनपदों में रेशम कीट पालन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सम्बन्धित जनपदों के रेशम अधिकारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े किसानों को रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक समन्वय/कन्वर्जेन्स प्रदान किया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.1.7 **मण्डी सचिव** - जनपद की सम्बन्धित मण्डी के सचिव द्वारा वर्तमान कृषि सुधारों के मदेनजर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी को राष्ट्रीय कृषि विपणन नेटवर्क से जोड़ने हेतु उसका पंजीयन ई-एन0ए0एम0 पोर्टल पर कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यथा आवश्ययकता वर्तमान विपणन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यवस्था का भी प्रत्यक्ष लाभ फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को प्रदान करते हुए आर्गेनिक उत्पादों के विपणन हेतु मण्डियों आऊटलेट उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समिति के निर्देशों के अनुसार एफ0पी0ओ0 के गठन की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.1.8 **जिला खाद्य विपणन अधिकारी -** सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों के क्रय केन्द्र स्थापना हेतु एफ0पी0ओ0 को अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। किसानों की सहायता के लिए कृषि उपज क्रय प्रक्रिया की दुरूहताओं को दूर करने हेतु उनके द्वारा क्रय प्रक्रिया की सघन मानिटरिंग की जायेगी।

4.1.9 **कृषि विज्ञान केन्द्र** - सम्बन्धित जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की मांग पर यथा आवश्यकता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में मान्य अद्यतन तकनीकी तथा कृषि एवं अन्य सहाय्यित क्षेत्र के उत्पादों की बाजार मांग एवं उसकी प्रस्तावित पूर्ति के तरीके के बारे में आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान की जायेगी। साथ ही एफ0पी0ओ0 के सहयोग से कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र के व्यावसायिक प्रदर्शन प्रक्षेत्रों की स्थापना में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित कृषि विज्ञान केन्द्र अपनी लिंक कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का आन-फार्म प्रशिक्षण के साथ-साथ एफ0पी0ओ0 से जुड़े किसानों को भी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कृषि तकनीकी विस्तार कार्यक्रम से सीधे जोड़ेंगे।

4.1.10 **क्षेत्रीय परिषद** -नमामि गंगे परियोजना: नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को जागरूक/प्रशिक्षित कर कृषक समूह गठित किये जायेंगे। इन गठित कृषक समूहों को राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से एफ0पी0ओ0 के स्वरूप में स्थापित करने का कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त के अलावा प्रस्तर-3.2.4 पर वर्णित अन्य विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी भी एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम को सत्त रूप से क्रियाशील बनाये रखने हेतु अपना योगदान करेंगे।

कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में ए0टी0एम0 तथा बी0टी0एम0 की तैनाती पूर्व से ही है। समस्त कार्मिक कृषि विज्ञान में शिक्षित तथा प्रशिक्षित होते हैं। इन कार्मिकों को एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम का प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान कर एफ0पी0ओ0 के गठन कार्यक्रम की प्राथमिक कड़ी के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के समन्वय से समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जायेगी।

5.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन:

5.1 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

किसी भी नये कार्यक्रम के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्यदल की नितान्त आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य स्तरीय इकाई द्वारा एक प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार किया जायेगा जिसके क्रम में कृषि विभाग के मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं खण्ड विकास स्तरीय अधिकारियों का अलग-अलग बैचों में व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 02 ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 तथा 02 अग्रणी किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन तथा उसके सफल संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने जनपदों में कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विभागीय कार्मिकों/अन्य किसानों को जानकारी प्रदान कर उन्हें एफ0पी0ओ0 गठन हेतु प्रेरित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा। इसका आयोजन वर्तमान में कोविड प्रोटोकाल को देखते हुए वर्चुवल तरीके से एन0आई0सी0 नेटवर्क के माध्यम से किया जायेगा। यथा आवश्यकता भविष्य में यह आयोजन कृषि विभाग के राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ में आयोजित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त प्रशिक्षित किसानों/विभागीय क्रार्मिकों के सहयोग प्रस्तर-3.2.2 पर अंकित विवरण के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन में प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

5.2 कम्पनी के निदेशकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से दो निदेशकों का कम्पनी के रख-रखाव तथा कृषि एवं सहाय्यित क्षेत्र के कार्यक्रमों से जुड़े मूल्य श्रंखला स्थापना करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक बैच में 25 किसान निदेशक सम्मिलित होगें। प्रशिक्षण के दौरान लखनऊ तथा उसके आस-पास के जनपदों में पूर्व से कार्यरत एवं सफल फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रक्षेत्रों का भ्रमण भी कराया जायेगा जिससे "किसानों द्वारा किसानों का प्रशिक्षण सत्र" भी स्वतः पूर्ण हो जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंण्डर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण शिड्यूल संलग्नक-02 पर प्रस्तुत है।

5.3 कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का कम्पनी प्रबन्धन एवं लेखा रखाव हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा इंस्टीटयूट आफ कम्पनी सेक्रेट्रीज तथा इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट आफ इण्डिया के सहयोग से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार लिया गया है। प्रशिक्षण शिड्यूल संलग्नक-3 पर प्रस्तुत है। उन्हें विभिन्न बैचों (25 प्रशिक्षार्थी/बैच) में तीन दिन अवधि का प्रशिक्षण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में प्रदान किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का प्रशिक्षण 03 दिवसीय कार्य अन्तराल का होगा जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से जुड़े लेखा सम्बन्धी कार्यो का रख-रखाव, रजिस्ट्रार आफ कम्पनी की विधिक बाध्यताओं के आलोक में आवश्यक प्रपत्रों को तैयार कर उसे आन लाइन जमा करना, कम्पनी की वर्तमान कार्य योजना का समुचित प्रबन्धन तथा उसके भविष्य की कार्य योजना को समय से तैयार करना, बैकिंग लेन-देन तथा शेयर होल्डर्स के साथ समयबद्ध भौतिक तथा वर्चुवल सम्वाद करना इत्यादि सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का प्रदेश स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे कार्य कर रहे फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को यथा आवश्यकता भ्रमण भी कराया जायेगा।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान में आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अलग-अलग बैचों में किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक बैच में अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर वेबिनार का आयोजन कर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के निदेशको एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सम्बन्धित विषयों की अद्यतन जानकारी भी राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंण्डर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा जारी कर दिया जायेगा।

6.0 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु राज्य स्तरीय उत्प्रेरकों के पैनल का गठन:

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा प्रदेश स्तर पर एफ0पी0ओ0 गठन हेतु अनुभवी एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ स्वैच्छिक उत्प्रेरकों का एक पैनल गठित किया जायेगा। इस पैनल में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गठित एवं क्रियाशील ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रथम निदेशक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्मिलित किये जायेंगे जिनके द्वारा कृषि उत्पाद मूल्य श्रंखला संवर्धन हेतु कम से कम 02 वर्षों से कार्य किया जा रहा हो तथा कम्पनी का वार्षिक टर्न-ओवर रू0 50.00 लाख से अधिक हो।

इस पैनल में सम्मिलित स्वैच्छिक विशेषज्ञों की अधिकतम संख्या 50 होगी। इन विशेषज्ञों द्वारा अपने क्षेत्र में किसानों को उत्प्रेरित कर कृषि उत्पाद मूल्य श्रंखला संवर्धन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही अपने निकटवर्ती विकासखण्ड के जागरूक किसानों को प्रशिक्षित/उत्प्रेरित कर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के गठन में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। इन विशेषज्ञों को राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई के अनुमोदनोंपरान्त उनकी सेवाओं के लिए नियमानुसार मानदेय प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी, जो एफ0पी0ओ0 के सफलतापूर्वक गठन के उपरान्त देय होगा। पैनल में सम्मिलित स्वैच्छिक विशेषज्ञों को उनकी स्वैच्छिक सेवाओं हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा पहचान पत्र भी प्रदान किया जायेगा। एफ0पी0ओ0 उत्प्रेरक किसी भी राजनीतिक संगठन सक्रिय सदस्य नहीं होगा।

7.0 प्रस्तावित लक्ष्यः- उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के अनुपालन हेतु निर्गत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश लागू होने के उपरान्त प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् है:-

वर्ष	फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों की सं0	कुल प्रत्यक्ष लाभान्वित किसान/ शेयर होल्डर	अनुमानित पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं सहायतित क्षेत्र क्रियाकलापों के कारण उत्पादक क्षेत्रफल में वृद्धि (एकड़ में)	कृषि एवं सहायतित क्षेत्र क्रियाकलापों तथा मूल्य संवर्धन श्रंखला उत्पादन के कारण कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन (करोड़ रूपये में)
2020-21 का शेष भाग	800	04.00 लाख	5.00 लाख	12000.00
2021-22	1600	08.00 लाख	10.00 लाख	25000.00
2022-23	1600	08.00 लाख	10.00 लाख	25000.00
योग	4000	20.00 लाख	25.00 लाख	62000.00

उक्त प्रस्तावित उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई मिशन मोड में कार्य का निस्तारण करेंगी। दोनों ही स्तर पर कोविड-19 महामारी काल के दौरान भारत सरकार द्वारा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के सत्त विकास हेतु घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड तथा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत घोषित परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/ शासनादेशों से आबद्ध होकर कन्वर्जेन्स प्राप्त करते हुए परियोजनाओं का वैल्यू चेन मेकेनिज्म के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में क्रियान्वित किया जायेगा। उत्पाद मूल्य श्रंखला स्थापना हेतु प्रदेश स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक बैंकों तथा डेवलपमेंट फाइनेन्शियल इंस्टीटयूशन्स से राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जायेगा, जिससे जनपद स्तर पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के निदेशकों को आवश्यक बैंकिग सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो सकें। यथा आवश्यकता जनपदों के कृषि आधारित पोटेंन्शियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान बनाते समय सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा सम्बन्धित जनपद में कार्यरत समस्त फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों से उनकी कार्य योजना लेकर निश्चित रूप से संकलित करा लेनी होगी।

--------//--------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in